न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 23 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 119

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
राजस्थान सरकार जरिये, विरेन्द्रसिंह जाखड़ प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. श्री जगदीशप्रसाद शर्मा पुत्र श्री भागीरथ शर्मा निवासी निम्बीजोधा तहसील लाडनूं

अपील अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Mal-practices) Order 2005 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री रामावतार पूनियां

–: निर्णय :–

दिनांक: 12/02/2024

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Mal-practices) Order 2005 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपील के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2022 को मुखबिर से दूरभाष पर सूचना मिली कि डीडवाना–लाडनूं रोड, बस स्टैण्ड के पास सांवराद तहसील लाडनूं में अवैध रूप से पेट्रोल पम्प संलालित कर भारी मात्रा में अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल का विक्रय किया जा रहा है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामावतार पूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, एवं विरेन्द्रसिंह जाखड़ प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौके पर एस्सार कम्पनी का बोर्ड, तीन डिस्पेसिंग यूनिट जिन पर तीन नोजल लगे हुए पाया गया जिसमें डीजल के दो नोजल व पेट्रोल का एक नोजल पाया गया। मौके पर उपस्थित सैल्स मैन श्री अनिलकुमार पुत्र श्री ताराचन्द से पूछताछ करने पर श्री अनिलकुमार ने बताया कि मुझे फिलिंग स्टेशन के मालिक श्री जगदीश शर्मा द्वारा यहां पर दिनांक 10.02.2023 से सैल्समैन के कार्य हेतु सात हजार रूपये प्रतिमाह वेतन पर रखा गया था। श्री जगदीश शर्मा निवासी निम्बीजोधा का पंजाब में पेट्रोल पम्प है और वे अभी पंजाब गयो हुए हैं श्री अनिलकुमार ने अपने मोबाईल नं. 9982964280 से श्री जगदीश शर्मा के मोबाईल नं. 9362256734 पर बात की तो श्री जगदीश शर्मा ने बताया कि वह अभी पंजाब में है। यहा पर किराये पर संचालन हेतु पेट्रोल पम्प लिया है इसलिए पंजाब है। श्री जगदीश शर्मा ने दूरभाष पर बताया कि मैसर्स जय भैरूनाथ फिलिंग स्टेशन, सांवराद जो खसरा नं. 385 / 137 पर स्थित है उनका स्वयं का है जिसको एस्सार कम्पनी द्वारा बन्द कर दिया गया है। वर्तमान में नजदीकी पेट्रोल पम्प से [illegible] के भूमिगत टैंक में भरकर वाहनों को विक्रय करता हूँ। श्री जगदीश श[illegible] बत[illegible] कि फिलिंग स्टेशन पर सैल्समैन के रूप में श्री अनिलकुमार क[illegible] फिलिंग स्टेशन के अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी न[illegible]। वैसे फिलिंग स्टेशन से सम्बन्धित अनुज्ञापत्र व आवश्यक द[illegible] फिलिंग स्टेशन के ऑफिस केबिन में टंगे हुए है[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

सैल्समैन श्री अनिलकुमार की उपस्थिति में ऑफिस केबिन का निरीक्षण करने पर विस्फोटक अनुज्ञापत्र पी / एनसी / आर.जे. / 14 / 2991 (पी.202872) जो दिनांक 31.12.2020 तक वैध है। मौके पर एस्सार (नायरा) एनर्जी के ऐरिया सैल्स ऑफिसर श्री नवनीत सचदेव मो. नं. 8769216666 से दूरभाष पर वार्ता करने पर अवगत करवाया कि मैसर्स जय भैरूनाथ फिलिंग स्टेशन खसरा नं. 385 / 137 ग्राम सांवराद का अनुज्ञापत्र कम्पनी द्वारा टर्मीनेट कर दिया है जिससे सम्बन्धित दस्तावेज वाट्सएप्प पर भेजने हेतु कहा गया। तत्पश्चात श्री नवनीत सचदेव ने वाट्सएप्प पर दस्तावेज भेजे जो अनुज्ञापत्र टर्मीनेशन से सम्बन्धित है जिसके पत्रांक रिफरेन्स नं. पी / एनसी / आर.जे. / 14 / 2991 (पी.202872) दिनांक 04.05.2022 एवं रेफरेन्स नं. आर.जे.एन. 0008 / एनओसी / सरेण्डर दिनांक 04.05.2022 हैं। मौके पर कार्यवाही के दौरान बिना नम्बरी मैसी कम्पनी का ट्रेक्टर डीजल भरवाने आया। वाहन चालक ने इस फिलिंग स्टेशन से 1000 रूपये (एक हजार रूपये अक्षरे) का डीजल भरवाया। ट्रेक्टर चालक श्री भगवानाराम पुत्र श्री तेजाराम के बयान दर्ज कर फर्द मौका के साथ सलंग्न किये। मौके पर नजदीकी फिलिंग स्टेशन आर.पी. इण्डियन ऑयल शिमला के कार्मिक श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री परमेश्वरलाल को मौके पर डेनसिटी मापक यंत्रे के साथ बुलाकर डेनसिटी का मापन करने पर दोनों एचएसडी के नोजल से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर घनत्व मापन करने पर 28 C तापमान पर डेनसिटी 819 है जो कि डेनसिटी चार्ट अनुसार 15 C तापमान पर डेनसिटी 828.1 हैं अन्य तीसरी एमएस नोजल से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर डेनसिटी मापन करने पर 26 C तापमान पर डेनसिटी 746 पाया गया जो डेनसिटी चार्ट के अनुसार 15C तापमान पर डेनसिटी 755.7 पाया गया जो कि प्रथम दृष्टया डीजल (एचएसडी) व पेट्रोल(एमएस) का शुद्ध रूप न होकर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ होना प्रतीत होता है। पत्पश्चात मौके पर पाये गये दो भूमिगत टैंकों का डिप रोड से पेट्रोलियम पदार्थ से मापन करने पर दानों भूमिगत टैंकों से लगभग 200–200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारित पाया गया। मौके पर उपस्थित सैल्समैन श्री अनिलकुमार से नोजल के केलीब्रेशन से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर अनभिज्ञता जाहिर की व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिस पर मौके से ही विधिक बाट माप अधिकारी (एलएमओ) श्री सुरेशकुमार से दूरभाष पर वार्ता करने पर अवगत करवाया कि उनके द्वारा लगभग एक वर्ष से अधिक की अवधि में मैसर्स जय भैरूनाथ फिलिंग स्टेशन गांव सांवराद तहसील लाडनूं के नोजलों का केलीब्रेशन नहीं किया गया है। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर एस्सार कम्पनी के एरिया सैल्स ऑफिसर श्री नवनीत सचदेव से वार्ता व प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर फिलिंग स्टेशन पर भण्डारित समस्त पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए एम.एस. एवं एचएसडी आदेश 2005 के उपवन्धों का उल्लघंन पाये जाने पर उक्त आदेश में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्त सरकार किया गया। दोनों भूमिगत टैंकों से नोजल के माध्यम से दो स्वच्छ एल्युमिनियम की बाल्टियों में क्रमशः एचएसडी भूमिगत टैंक व एमएस भूमिगत टैंक से नोजलों के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। एचएसडी भूमिगत टैंक से निकाले गये पेट्रोलियम पदार्थ को नमूनों हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन एल्युमिनियम पात्रों को इसी पेट्रोलियम पदार्थ से साफ कर प्रति पात्र 1000 एमएल पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। तीनों एल्युमिनियम पात्रों पर आवश्यक सूचनाऐं यथा उत्पाद का नाम, स्त्रोत, स्थान दिनांक आदि चस्पा कर प्लास्टिक सीलों में सील कर तीनों नमूनों को क्रमांक (मार्का) ए–1, ए–2, व ए–3 दिया गया। नमूना क्रमांक ए–1 को प्लास्टिक सील सं. 3187606 से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक ए–2 को प्लास्टिक सील सं. 3187643 से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक ए–3 को प्लास्टिक सील सं. 3187678 से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक ए–1 वास्ते एफएसएल साथ में लिया गया। दूस[illegible] जुडी हुई है से लिये गये पेट्रोलियम पदार्थ को नमूनों हेतु प्रयुक्त होने [illegible]ल्युमिनियम पात्रों को इसी पेट्रोलियम पदार्थ से साफ कर प्रति [illegible] तीनों एल्युमिनियम पात्रों पर आवश्यक सूचनाऐं यथ[illegible] का नाम, स्त्रो[illegible]न दिनांक आदि चस्पा कर प्लास्टिक सीलों में सील कर तीनों [illegible] ए–3 दिया गया। नमूना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचा[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक ए–1 को प्लास्टिक सील सं. 3187677 से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक ए–2 को प्लास्टिक सील सं. 3187628 से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक ए–3 को प्लास्टिक सील सं. 3187645 से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक बी–1 वास्ते एफएसएल. साथ में लिया गया। मौके से पुलिस थाना जसवन्तगढ़ थानाधिकारी को दूरभाष पर मौके पर पुलिस जाब्ता भेजने हेतु कहा गया जिस पर मौके पर श्री मनफूलराम कानि. बेल्ट नं. 1286 व श्री रामसिंह कानि. बैल्ट नं. 556 तैनात किये गये। मौके पर जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ को भूमिगत टैंक से डिस्पेसिंग यूनिट पर लगे नोजल के माध्यम से ड्रमों में भरने हेतु ड्रम मौके पर मंगवाये गये। भूमिगत एचएसडी टैंक से सलंग्न नोजलों से 200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। डीजल डिस्पेसिंग यूनिट को नोजल सं. 1 को प्लास्टिक सील सं. 3187666 से सील्ड किया गया। वक्त सील नोजल सं. 1 की रीडिंग 108795.8 है। डीजल डिस्पेसिंग यूनिट को नोजल सं. 2 को प्लास्टिक सील सं. 3187619 से सील्ड किया गया। वक्त सील नोजल सं. 2 की रीडिंग 159980.1 है। पेट्रोल डिस्पेसिंग यूनिट को नोजल को प्लास्टिक सील सं. 3187664 से सील्ड किया गया जिसकी वक्त सील रीडिंग 137555 है। नमूना क्रमांक ए.–2 व बी–2 सैल्सेमैन श्री अनिलकुमार को सुपुर्द पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवायें गये। जब्तसुदा दो प्लास्टिक ड्रमों में भरे हुए कुल 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (एचएसडी.–200 व एमएस. 200 लीटर) निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु मैसर्स आर.पी. इण्डियन ऑयल शिमला के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश पुत्र परमेश्वरलाल निवासी कोलिया को सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

3. रेस्पोडेन्ट जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिवादी राजस्थान सरकार (प्रवर्तन निरीक्षक) ने अपने आवेदन मय रिपोर्ट व पत्रावली के साथ डिजल पेट्रोल बिल दिनांक 02.12.2021, 14.10.2021 व 28.12.2021 के दस्तावेज सलंग्न किये हैं। परिवाद आवेदन में वर्णित अनुसार विस्फोटक अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2020 तक वैध है। मैसर्स जय भैरूनाथ फिलिंग स्टेशन खसरा नं. 385/137 ग्राम सांवराद का अनुज्ञा पत्र कम्पनी द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है जिसके पत्रांक रिफरेन्स न.पी./एन सी/आर जे/14/2991(पी202872) दिनांक 04.05.2022 एवं रेफरेन्स 04.05.2022 है। उपरोक्त वर्णित अनुसार डिजल पेट्रोल बिल मार्फत कम्पनी को माल की अदायगी टर्मिनेट बावजूद कम्पनी ने कि बतोर कि व जब बिल मार्फत प्राप्ति माल डीजल पेट्रोल, बाबत कम्पनी का सरेन्डर पत्रांक 04.05.2022 है तो सन् 2021 में तीन बिलों मार्फत खरीद मौके पर मोजूद माल को सरेन्डर व टर्मिनेशन समय जब्त नहीं किया व उचित तोर पर खरीद पेट्रोल डीजल के बेचान बाबत कोई आदेश निर्देश नहीं होने बावजूद उचित वेध स्टोरेज माल का टर्मिनेशन समय निस्तारण क्यों नहीं किया बाबत बिलों व माल बाबत परिवाद पर तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं है। अतः बिल, माल, टर्मिनेशन व सरेण्डर बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट परिवादी से तलब किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करें।

4. रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर एक पक्षीय बहस सुनी। अपीलान्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामावतार पूनियां ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ प्रकरण में 7 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया है।

6. एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 17.02.2022 को मुखबिर से दूरभाष पर सूचना मिली की डीडवाना–लाडनूं रोड, बस स्टैण्ड के पास सावंराद तहसील लाडनूं में अवैध रूप से पेट्रोल पम्प संचालित कर भारी मात्रा में अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल का विक्रय किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी नागौर हमराह श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक एवं विरेन्द्रसिंह जाखड़ प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर ... जांच की। मौके पर एस्सार कम्पनी का बोर्ड, तीन डिस्पेसिंग यूनिट ... पर ... हुआ पाया गया जिसमें डीजल के दो नोजल एवं पेट्रोल का एक नोजल पाया गया। मौके पर उपस्थित सैल्स मैन अनिलकुमार पुत्र ताराचन्द से पूछताछ करने ... मालिक जगदीश प्रसाद शर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा सेल्समैन के कार्य हेतु रखा गया था और वे अभी पंजाब गये हुए है। अनिल कुमार के मोबाईल से जगदीश शर्मा से बात की तो जगदीश शर्मा ने बताया मैसर्स जय भैरूनाथ फिलिंग स्टेशन, सांवराद जो खसरा नं. 385 / 137 पर स्थित है उनका स्वयं का है जिसको एस्सार कम्पनी द्वारा बन्द कर दिया गया है। वर्तमान में नजदीकी पेट्रोल पम्प से डीजल व पेट्रोल खरीदकर अपने पम्प के भूमिगत टैंक में भरकर वाहनों को विक्रय करता हूँ व अनिल कुमार को 4–5 दिन पहले ही रखा है जिसके फिलिंग स्टेशन के अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेजो के बारे मे जानकारी नहीं है। वैसे फिलिंग स्टेशन से सम्बन्धित अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज फिलिंग स्टेशन के ऑफिस केबिन में टंगे हुए है। ऑफिस केबिन का निरीक्षण करने पर विस्फोटक अनुज्ञापत्र पी / एनसी / आर.जे. / 14 / 2991 (पी.202872) जो दिनांक 31.12.2020 तक वैध है। मौके पर एस्सार (नायरा) एनर्जी के ऐरिया सैल्स ऑफिसर श्री नवनीत सचदेव मो. नं. 8769216666 से दूरभाष पर वार्ता करने पर अवगत करवाया कि मैसर्स जय भैरूनाथ फिलिंग स्टेशन खसरा नं. 385 / 137 ग्राम सांवराद का अनुज्ञापत्र कम्पनी द्वारा टर्मीनेट कर दिया है जिससे सम्बन्धित दस्तावेज वाट्सएप्प पर भेजने हेतु कहा गया। तत्पश्चात श्री नवनीत सचदेव ने वाट्सएप्प पर दस्तावेज भेजे जो अनुज्ञापत्र टर्मीनेशन से सम्बन्धित है जिसके पत्रांक रिफरेन्स नं. पी / एनसी / आर.जे. / 14 / 2991 (पी.202872) दिनांक 04.05.2022 एवं रेफरेन्स नं. आर.जे.एन. 0008 / एनओसी / सरेण्डर दिनांक 04.05.2022 हैं। मौके पर उपस्थित सैल्समैन श्री अनिलकुमार से नोजल के केलीब्रेशन से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर अनभिज्ञता जाहिर की व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिस पर मौके से ही विधिक बाट माप अधिकारी (एलएमओ) श्री सुरेशकुमार से दूरभाष पर वार्ता करने पर अवगत करवाया कि उनके द्वारा लगभग एक वर्ष से अधिक की अवधि में मैसर्स जय भैरूनाथ फिलिंग स्टेशन गांव सांवराद तहसील लाडनूं के नोजलों का केलीब्रेशन नहीं किया गया है। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर एस्सार कम्पनी के एरिया सैल्स ऑफिसर श्री नवनीत सचदेव से वार्ता व प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर फिलिंग स्टेशन पर भण्डारित समस्त पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए एम.एस. एवं एचएसडी आदेश 2005 के उपबन्धों का उल्लघंन पाये जाने पर उक्त आदेश में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्त सरकार किया गया। जब्तसुदा दो प्लास्टिक ड्रमों में भरे हुए कुल 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (एचएसडी.–200 व एमएस. 200 लीटर) निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु मैसर्स आर.पी. इण्डियन ऑयल शिमला के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश पुत्र परमेश्वरलाल निवासी कोलिया को सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में जब्तसुदा 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (एचएसडी. 200 व एमएस. 200 लीटर) को समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (एचएसडी. 200 व एमएस. 200 लीटर) का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 12.02.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:54 IST
Reason: SelfAttested

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner